
SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI
GOVT. P.G. COLLEGE
KISHANGARH



विवरणिका
2024—2025

विवरणिका

PROSPECTUS

सत्र 2024 – 2025

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कान्तेव चाभिरमयत्यपनीयखेदम् !
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या !!

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़

(NAAC Grade 'B' प्राप्त महाविद्यालय)

फैक्स/फोन नं. 01463-245660

Website : www.gckishangarh.edu.in

Email: srkpatnigck@gmail.com

principal@gckishangarh.edu.in

webpage: <http://hte.rajasthan.gov.in/college/gckishangarh/>

महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेने हेतु, ऑन-लाइन प्रवेश-प्रक्रिया एवं एकीकृत तथा ऑफ-लाइन प्रवेश-प्रक्रिया की जानकारी के लिए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> का अवलोकन करें।

नोट:-विद्यार्थी समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं के लिए महाविद्यालय के सूचना-पट्ट का नियमित अवलोकन करें।

संरक्षक एवं प्राचार्य : प्रो. जे.पी.शुक्ला
सम्पादक मण्डल : डॉ. नीलोफर कोहरी
: डॉ.श्यामलाल उदेनियां
: डॉ. जितेन्द्र सिंह बीका

आवश्यक निर्देश

यह विवरणिका महाविद्यालय से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करती है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसके मुद्रण के पश्चात् भी राजस्थान सरकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेशानुसार पाठ्यक्रम, प्रवेश नियमों, शुल्क दरों, छात्रवृत्तियों आदि में परिवर्तन संभव हैं।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विहंगावलोकन	3
2.	प्राचार्य—संदेश	4
3.	आपका महाविद्यालय	5
4.	पाठ्यक्रम	6
5.	ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के चरण	10
6.	अनुशासन	12
7.	रैगिंग पूर्णतः निषेध एवं दण्डनीय अपराध	13
8.	उपस्थिति नियम	14
9.	पुस्तकालय	14
10.	छात्र—कल्याण एवं सहशैक्षणिक गतिविधियाँ	15
11.	कोरोना : बचाव ही सुरक्षा	22
12.	वित्तीय सूचनाएँ एवं शुल्क विवरण	23
13.	छात्रवृत्तियाँ	29
14.	प्रवेश नियमावली	29
15.	सह—शैक्षणिक गतिविधियाँ	32
16.	महाविद्यालय परिवार	33
17.	प्रवेश एवं अन्य समितियाँ तथा सम्पर्क स्थल	35
18.	कक्षा एवं कोर्स अनुसार स्थानों का विवरण	39

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़

(NAAC Grade 'B' प्राप्त महाविद्यालय)

MODEL COLLEGE OF GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Website : www.gckishangarh.edu.in

Emails rkpatnigck@gmail.com

principal@gckishangarh.edu.in

DCE Site-<http://hce.rajasthan.gov.in>

webpage: <http://hte.rajasthan.gov.in/college/gckishangarh/>

महाविद्यालय विहंगावलोकन

- ❖ महाविद्यालय में सन् 2018 से तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन हुआ है। रसायन शास्त्र, चित्रकला एवं भूगोल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुभारम्भ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- ❖ सत्र 2023-24 में महाविद्यालय को NAAC (National Assessment and Accreditation Council) द्वारा B ग्रेड प्राप्त हुई है।
- ❖ RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) योजनान्तर्गत लाभान्वित महाविद्यालय।
- ❖ सन् 1951 से इण्टर कॉलेज के रूप में संचालित।
- ❖ सन् 1959 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत।
- ❖ सन् 1977-78 में कला, 1982 में वाणिज्य एवं 2018 में विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत।
- ❖ गत सत्र 2023-24 में कुल 5393 नियमित विद्यार्थी, जिसमें 2791 छात्र तथा 2606 छात्राएँ अध्ययनरत।
- ❖ विज्ञान संकाय में 5 विषयों में स्नातक तथा रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर हेतु सुसज्जित प्रयोगशालाओं सहित अध्ययन सुविधा।
- ❖ वाणिज्य संकाय के पास कोर्स में तीनों विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन सुविधा।
- ❖ कला संकाय के पास कोर्स के 10 विषयों में स्नातक एवं 5 विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन सुविधा। संकाय में चित्रकला, भूगोल एवं भाषा के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ विद्वत् 40 संकाय सदस्य, जिनमें 30 पीएच.डी. उपाधि धारक हैं।
- ❖ महाविद्यालय के DELNET (Developing Library Network) एवं INFLIBNET (Information and Library Network) की सदस्यता प्राप्त एवं हाल ही में पूर्णतः Computerized पुस्तकालय में लगभग 64745 पुस्तकें हैं। इसमें राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।
- ❖ महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सेमिनार हॉल, केन्टीन, वाहन स्टैण्ड, छात्र परामर्श-केन्द्र, प्लेसमेंट सैल, लैंग्वेज लैब, वोकेशन लैब, नॉलेज सेन्टर, कम्प्यूटर-लैब आदि की सुविधा के साथ खेलकूद हेतु टेनिस, बैडमिंटन, बॉस्केट बॉल, वॉलीबाल, हैण्डबाल एवं कबड्डी के कोर्ट, टी.टी. हॉल, दौड़ हेतु ट्रैक व फील्ड इवेन्ट तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा उपलब्ध।
- ❖ महाविद्यालय विकास समिति एवं एल्यूमिनि ऐसोसिएशन पंजीकृत संस्था के रूप में कार्यरत।
- ❖ महाविद्यालय में इन्टरनेट, फैक्स, ई-मेल, वेबसाइट की सुविधा।
- ❖ महाविद्यालय में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का अध्ययन केन्द्र संचालित।

प्राचार्य संदेश

प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों

हमारे महाविद्यालय (SRKP GCK) में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें अत्यंत गर्व है कि हमारे संस्थान ने शैक्षिक उत्कृष्टता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा कायम रखा है। हम नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार कर रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होंगे।

नई शिक्षा नीति के तहत हमारा महाविद्यालय विद्यार्थियों को बहुआयामी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक व्यापक और समावेशी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके तहत हम कला, विज्ञान और वाणिज्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का भी समावेश कर रहे हैं।

हमारे महाविद्यालय में खेल-कूद की अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और एथलेटिक्स जैसी विभिन्न खेल गतिविधियों की व्यवस्था है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है।

सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हमारे शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारे महाविद्यालय में एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर), एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) और स्काउट्स जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुशासन, समाज सेवा और देशभक्ति की भावना का विकास करते हैं। इसके अलावा, हमारे महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य के विभिन्न परिषदों के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके रुचि के क्षेत्रों में गहन अध्ययन और शोध कार्य करने का अवसर मिलता है।

हमारी फैकल्टी अत्यंत योग्य और अनुभवी है, जो अपने-अपने विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। वे विद्यार्थियों को न केवल शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि उनके नैतिक और व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।

हमारा महाविद्यालय समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम एक लिंग-संवेदनशील और दिव्यांग-मैत्रीपूर्ण परिसर प्रदान करते हैं, जहाँ सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और सुविधाएँ मिलती हैं। हमारा परिसर भौतिक रूप से सुलभ है और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुसज्जित है।

हमारे महाविद्यालय का पुस्तकालय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें विशाल संग्रह, डिजिटल संसाधन और अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण वातावरण है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन और शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है।

अंत में, मैं आप सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षा और सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ। हम आपके उज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे साथ आपका शिक्षण अनुभव समृद्ध और सफल होगा।

धन्यवाद।

प्राचार्य
प्रो.जे.पी.शुक्ला

आपका महाविद्यालय

(NAAC Grade 'B' प्राप्त महाविद्यालय)

MODEL COLLEGE OF GOVERNMENT OF RAJASTHAN

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1959 की गई थी। वर्तमान में यहाँ 5397 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें से 2791 छात्र एवं 2606 छात्राएँ हैं। शहर के मध्य गूंदोलाव झील के किनारे प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित यह महाविद्यालय हमेशा से ही विद्यार्थियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। प्रारम्भ में यह इन्टर कॉलेज के रूप में संचालित था तथा सन् 1959 में इसे डिग्री कॉलेज एवं सन् 1977 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया।

इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा सन् 2007 में राजस्थान के प्रथम मॉडल महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है यह हमारे लिए गर्व का विषय है। वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में 10 विषयों तथा वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय में गणित एवं जीवविज्ञान दोनों वर्गों में अध्ययन-अध्यापन करवाया जा रहा है।

महाविद्यालय में सन् 2018 से तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन हुआ है। रसायन शास्त्र, चित्रकला एवं भूगोल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुभारम्भ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय के कला संकाय में पाँच विषयों इतिहास, हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, चित्रकला तथा भूगोल; वाणिज्य संकाय में तीन विषयों-लेखा एवं व्यावसायिक संख्यिकी (ABST), व्यावसायिक प्रशासन (Bus. Adm.) तथा आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (EAFM) और विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर विषयों में अध्यापन करवाया जा रहा है।

वर्तमान में महाविद्यालय में 45 संकाय सदस्य हैं। जिनमें 38 पीएच.डी. उपाधि प्राप्त हैं। महाविद्यालय का DELNET (Developing Litrary Network) एवं INFLIBNET (Information and Library Network) की सदस्यता प्राप्त हालही में पूर्णतः Computerized पुस्तकालय है जो विभिन्न विषयों की 64745 श्रेष्ठ पुस्तकों से सुसज्जित है जिनका अध्ययन कर विद्यार्थी अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही समस्त स्नातकोत्तर विभागों में विभागीय पुस्तकालयों की सुविधा भी उपलब्ध है।

महाविद्यालय में एन.सी.सी. के 160 कैंडेड्स की एक कम्पनी कार्यरत है। राष्ट्रीय सेवा योजना की चार इकाइयाँ तथा स्काउटिंग की रोवर/रेंजरकी एक यूनिट कार्यरत है। इण्डोर व आउटडोर खेलों की भी महाविद्यालय में समुचित व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु युवा विकास-केन्द्र भी कार्यरत है।

विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ इनके व्यावसायिक एवं रोजगार उन्नयन के उद्देश्य से महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के समुचित ज्ञानवर्द्धन एवं नये-नये शोधों की जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्र परामर्श-केन्द्र, लैंग्वेज-लैब, यू.जी.सी. लैब, नॉलेज सेन्टर, तथा प्लेसमेंट सेल संचालित हैं।

महाविद्यालय में सेमिनार हॉल, केन्टीन, वाहन स्टेण्ड एवं पर्यावरण-मित्र हरितिमामय परिसर उपलब्ध हैं। ग्रामीण परिवेश की छात्राओं की आवास व्यवस्था हेतु पृथक् कन्या छात्रावास की सुविधा भी विद्यमान है।

वर्ष 2009 में महाविद्यालय में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का अध्ययन केन्द्र प्रारंभ किया गया है। महाविद्यालय में इन्टरनेट, फैंक्स, ईमेल तथा वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध है इस संस्था के महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का संगठन एल्यूमिनी एसोसिएशन तथा महाविद्यालय में विकास हेतु विकास समिति भी गठित की गयी है। जो समय-समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करती है। हाल ही के वर्षों में महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं ख्याति प्राप्त उद्योगपति श्री अशोक पाटनी के अथक प्रयासों से आर.के. चैरिटेबल ट्रस्ट किशनगढ़ द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत के चित्ताकर्षक आधुनिक संसाधनयुक्त भवन एवं परिसर का निर्माण पूर्ण करवाया गया है। सत्र 2013 - 14 से इस भवन में अध्ययन प्रारम्भ हो चुका है।

पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार सत्र 2021-22 के लिए निम्नांकित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं:-

1. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय)
 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, चित्रकला एवं भूगोल; व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST), व्यावसायिक प्रशासन (Bus. Adm.) तथा आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (EAFM) तथा रसायन शास्त्र /
- विषय :- पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अद्यतन सूचनाएँ म.द.स. वि.वि. अजमेर की Site: www.mdsuajmer.ac.in से ऑन-लाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑन-लाइन प्रवेश हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> पर जानकारी उपलब्ध है।

भाग 1 स्नातक पाठ्यक्रम

(क) स्नातक कक्षा पार्ट प्रथम

- इस पाठ्यक्रम की प्रवेश-प्रक्रिया ऑन-लाइन होगी। इसका विस्तृत विवरण प्रवेश-नीति 2024-25 में दिया गया है। इसके लिए ऑन-लाइन प्रवेश-आवेदन 10 जून, 2024 से भरे जा सकेंगे।
- आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेशानुसार वर्तमान सत्र 2024-25 में कला व वाणिज्य संकायों की स्नातक स्तर की प्रत्येक कक्षा के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 100 एवं विज्ञान संकाय में अधिकतम 88 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- म.द.स. वि.वि. अजमेर के निर्देशानुसार :-
(अ) सत्र 2024-25 में प्रत्येक स्नातक कक्षा पार्ट प्रथम में निम्न में से एक विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा :-
1. सामान्य हिन्दी
 2. सामान्य अंग्रेजी

संकायवार ऐच्छिक विषय निम्नानुसार उपलब्ध हैं:-

क्र. सं.	NAME OF FACULTY संकाय का नाम	LEVEL स्तर	NAME OF COURSE पाठ्यक्रम	Subject विषय	No. of Seats सीट संख्या	Remark विवरण
1	SCIENCE विज्ञान	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF SCIENCE विज्ञान स्नातक	Maths गणित	176	
2	SCIENCE विज्ञान	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF SCIENCE विज्ञान स्नातक	Biology जीवविज्ञान	176	
3	COMMERCE वाणिज्य	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF COMMERCE वाणिज्य स्नातक	लेखा एवं वित्त-A&F बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंध-B.&F.M व्यावसायिक प्रबंध-Bus Management	700	
4	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Hindi Literature हिन्दी साहित्य	810	

5	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	History इतिहास	810	
6	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Political Science राजनीतिक विज्ञान	810	
7	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Sociology समाजशास्त्र	510	
8	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Sanskrit Literature संस्कृत साहित्य	200	
9	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	English Literature अंग्रेजी साहित्य	100	
10	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Geography भूगोल	80	
11	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Economics अर्थशास्त्र	100	
12	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	Drawing & Painting चित्रकला	80	
13	ARTS कला	GRADUATE स्नातक	BACHELOR OF ARTS कला स्नातक	URDU उर्दू	100	

➤ **विषय-समूह चयन:**—कला संकाय में ऐच्छिक विषयों के निम्नलिखित चार विषय-समूहों में से एक-एक विषय चयन कर तीन विषय चुनते हुए नीचे दिए गए 40 विषय-समूहों में से न्यूनतम पाँच और अधिकतम सात विषय-समूह वरीयता क्रमानुसार चयनित करें।

❖ **तीनों साहित्य विषय लिया जाना म.द.स.वि.वि, अजमेर द्वारा प्रतिबन्धित है।**

समूह 1	समूह 2	समूह 3	समूह 4
हिन्दी साहित्य या अर्थशास्त्र या उर्दू या ड्राइंग एण्ड पेंटिंग	अंग्रेजी साहित्य या समाज शास्त्र	संस्कृत या इतिहास	राजनीतिक शास्त्र या भूगोल

उपर्युक्त ऐच्छिक विषय समूहों को ध्यान में रखकर बी.ए.पार्ट-प्रथम में निम्नलिखित 40 विषय संयोजन अध्यापन के लिए निर्धारित किए हैं। विद्यार्थी इनमें से प्राथमिकतानुसार किन्हीं से न्यूनतम पाँच और अधिकतम सात विषय-संयोजनों का चयन कर सकते हैं।

नोट:—इनके अतिरिक्त विषय-संयोजन अमान्य होंगे।

SRKP GOVT. P.G. COLLEGE KISHANGARH

SESSION 2024-25

B. A. PART I SUBJECT COMBINATION

1	History	Political Science	Hindi Literature
2	History	Political Science	Sociology
3	History	Sociology	Hindi Literature
4	Political Science	Sociology	Hindi Literature
5	Political Science	Hindi Literature	Sanskrit
6	Political Science	Sociology	Sanskrit
7	Sociology	Hindi Literature	Sanskrit
8	History	Political Science	Drawing & Painting
9	Political Science	Sociology	Drawing & Painting
10	History	Sociology	Drawing & Painting
11	History	Political Science	Economics
12	Political Science	Sociology	Economics
13	History	Political Science	Urdu
14	History	Sociology	Urdu
15	Political Science	Sociology	Urdu
16	History	Political Science	English Literature
17	History	Hindi Literature	English Literature
18	Political Science	Hindi Literature	English Literature
19	History	Hindi Literature	Geography
20	History	Sociology	Geography
21	Sociology	Hindi Literature	Geography
22	Political Science	Economics	English Literature
23	History	Economics	English Literature
24	Sociology	Geography	Urdu
25	Sociology	Sanskrit	Geography
26	Political Science	Economics	Sanskrit
27	Sanskrit	English Literature	Geography
28	Hindi Literature	Sanskrit	Geography
29	Hindi Literature	English Literature	Geography
30	History	English Literature	Urdu
31	Political Science	Sanskrit	Drawing & Painting
32	Economics	Sanskrit	Geography
33	Political Science	Sanskrit	English Literature
34	Sociology	Economics	Sanskrit
35	Sociology	Sanskrit	Drawing & Painting
36	Economics	Sanskrit	English Literature
37	Sanskrit	English Literature	Drawing & Painting
38	Political Science	English Literature	Urdu
39	Political Science	English Literature	Drawing & Painting
40	History	English Literature	Drawing & Painting

(ख) स्नातक कक्षा पार्ट द्वितीय एवं तृतीय

- 'एकीकृत प्रवेश-प्रक्रिया' के अन्तर्गत अपनी पूर्व कक्षा का परीक्षा परिणाम आने से पहले ही महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत मान लिया जाएगा। उन्हें दिनांक **31 जुलाई, 2024 तक अपना शुल्क E-MITRA पर जमा करवाना होगा**। परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण होने पर उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और शुल्क लौटा दिया जाएगा।
- (नोट:- म.द.स. वि.वि. अजमेर के नियमानुसार सत्र 2018-19 से पर्यावरण अध्ययन स्नातक कक्षा पार्ट द्वितीय में अनिवार्य विषय के रूप में लेना होगा।)

भाग 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(क) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध

- इस पाठ्यक्रम की प्रवेश-प्रक्रिया ऑन-लाइन होगी। इसका विस्तृत विवरण प्रवेश-नीति 2024-25 में दिया गया है। **ऑन-लाइन प्रवेश आवेदन-पत्र भरने का कार्यक्रम बाद में जारी होगा।**
- स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध स्तर पर महाविद्यालय में निम्नांकित विषयों के पाठ्यक्रम संचालित हैं:-
 - **कला संकाय** में पाँच विषय उपलब्ध हैं:-
 1. हिन्दी साहित्य, 2. संस्कृत साहित्य 3. इतिहास 4. चित्रकला 5. भूगोल
 - **वणिज्य संकाय** में तीन विषय उपलब्ध हैं:-
 1. व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST) 2. व्यावसायिक प्रशासन (Bus. Adm.) तथा 3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (EAFM)
 - **विज्ञान संकाय** में एक विषय उपलब्ध है:-
 1. रसायन शास्त्र
- विषय-पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएँ म.द.स. वि.वि. अजमेर की Site: www.mdsuajmer.ac.in से ऑन-लाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑन लाइन प्रवेश हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> पर जानकारी उपलब्ध है।

(ख) स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध

'एकीकृत प्रवेश-प्रक्रिया' के अन्तर्गत अपनी पूर्व कक्षा का परीक्षा परिणाम आने से पहले ही महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत मान लिया जाएगा। उन्हें दिनांक **31 जुलाई, 2024 तक अपना शुल्क E-MITRA पर जमा करवाना होगा**। परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण होने पर उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और शुल्क लौटा दिया जाएगा।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर की कक्षाएँ 01 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ हो जाएँगी। इसी दिन से उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। अतः विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रारम्भ से ही कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों !

महाविद्यालय में सत्र 2024–25 के लिए प्रवेश–प्रक्रिया के मुख्य चरण

स्नातक पार्ट – प्रथम में ऑन– लाईन प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय में सत्र 2024–25 के लिए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुरूप **स्नातक भाग –प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वाब्द्ध** में सभी संकायों में समस्त प्रवेश–प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

ऑन–लाईन प्रवेश आवेदन–पत्र भरने के मुख्य चरण

ऑन–लाईन प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व स्केन करके तैयार रखें

वर्तमान फोटो,हस्ताक्षर,अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका, कटेगरी हेतु नियमानुसार जाति प्रमाण–पत्र, बोनस हेतु अधिकतम अंक अर्जित कर सकने वाला प्रमाण पत्र स्केन करके

1. प्रवेशार्थी द्वारा ऑन–लाईन प्रवेश–प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर SSO (Single Sign On) ID द्वारा सभी कार्य सम्पादित किए जाएंगे ।
2. राजस्थान के प्रवेशार्थियों को अपना जनाधार नम्बर/ID भरना आवश्यक है।
3. इसके बाद प्रवेशार्थी के आधार कार्ड पर लिंक मोबाइल नम्बर पर OTP आता है, उसे भरने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध होगा।
4. प्रवेश–आवेदन–पत्र में प्रवेशार्थी को बैंक विवरण देना होगा ।
5. ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने के लिए प्रवेशार्थी को स्वयं के घर पर स्थापित इन्टरनेटयुक्त कम्प्यूटर, ई–मित्र, साइबर कैफे आदि से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की नई वेबसाइट **web-site <http://www.hte.rajasthan.gov.in/>** पर प्रवेश नीति सहित समस्त जानकारी एवं प्रवेश नियमावली उपलब्ध है।
6. ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने के लिए **<http://www.hte.rajasthan.gov.in/>** web-site पर **ADMISSION** menu पर **CORSOR** आते ही **Department of College Education** दिखाई देगा एवं जैसे ही इस पर **CORSOR** आएगा तो **Under Graduate Admission drop down menu** दिखने लगेगा उस पर **Click** करते ही **SSO window** खुल जाएगी और इस **SSO (Single Sign On) ID** के प्लेटफॉर्म पर अपनी **ID, PASSWORD & Captcha Code** भरकर **proceed** करेंगे तो उभरने वाले **DCEAPP** को **Click** करते ही **Admission Page** खुल जाएगा।
7. प्रवेशार्थी वहाँ ऑनलाइन एडमिशन फार्म, फार्म भरने के निर्देश, त्वरित पूछे जा सकने वाले प्रश्न (**FAQs**), फार्म भरने हेतु ऑडियो–विजुवल सहायता आदि सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
8. ऑन–लाईन एडमिशन पर क्लिक करते ही इनमें क्रम सं 3 पर **SRKP Govt. P.G. College kishangarh** का नाम उभरेगा, प्रवेशार्थी द्वारा इसको क्लिक करने पर इस महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन फार्म को भरने के पाँच तरीके (**Path**) सबसे पहले प्रदर्शित होंगे :-
 - (1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान **Rajasthan Board(2022,2023,2024)** (**RBSE**) से सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों हेतु।
 - (2) **ITI with English** करने वाले प्रवेशार्थियों हेतु।
 - (3) **Polytechnic Diploma** करने वाले प्रवेशार्थियों हेतु।

(5) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य शिक्षा बोर्ड (**Other**) द्वारा सीनियर सेकेण्डरी करने वाले विद्यार्थियों हेतु।

9. प्रवेशार्थी को इस फार्म की प्रत्येक प्रविष्टि सही तरीके से भरनी होगी।

(क) (**Others**) के (**Path**) में सारी प्रविष्टि एक- एक कर स्वयं भरनी होगी।

(ख) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान **Rajasthan Board(2022,2023,2024)** (**RBSE**) से सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों को **Rajasthan Board(2022,2023,2024)** (**Path**) का चयन करने पर प्रवेशार्थी के स्वयं एवं उसके पिता के नाम का प्रथम अक्षर तथा रोल नम्बर फीड करते ही नाम, वर्ग, अंकों, संकाय आदि की सूचनाएँ स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएँगी।

10. प्रवेशार्थी को अपनी समस्त जानकारी जैसे आधार कार्ड का नम्बर, मोबाइल न., बैंक खाते का विवरण आदि के साथ महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी हेतु चार प्राथमिकताओं के रूप में भरना अनिवार्य है।

11. फार्म के अन्त में उसे अपना वर्तमान फोटो, हस्ताक्षर, अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका, कटेगरी हेतु जाति प्रमाण पत्र, बोनस हेतु अधिकतम अंक अर्जित कर सकने वाला प्रमाण पत्र स्कैन करते हुए अपलोड करना होगा।

12. प्रवेशार्थी पूरा फार्म भरने के बाद उसे सबमिट करे, उसमें त्रुटि होने पर फार्म के ऊपर लाल अक्षरों में कमियों के निर्देश मिल जाते हैं।

13. फार्म सबमिट करते ही प्रवेशार्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नं. पर उसे एस.एम.एस. द्वारा आई. डी. नम्बर प्राप्त हो जाएगा एवं वह फार्म का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है।

14. प्रवेशार्थी इस साइट पर महाविद्यालय के वेब-पेज से महाविद्यालय से सम्बन्धित जानकारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों जैसे प्रवेश-नीति, प्रोस्पेक्ट्स आदि का प्रिन्ट प्राप्त कर सकता है।

15. **महत्त्वपूर्ण निर्देश:-** प्रवेशार्थी को फॉर्म भरते ही फॉर्म की हार्डकॉपी कॉलेज में जमा नहीं करवानी है। अस्थाई मेरिट लिस्ट में स्थान आने पर प्रवेशार्थियों को **SMS** से इसकी सूचना मिलेगी। इसके पश्चात् उन्हें प्रवेश के **बधाई पत्र** एवं **Verification Proforma** लेकर निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाणपत्रों की जाँच के लिए महाविद्यालय आना होगा। महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज-सत्यापन करने तथा **E-Mitra Posting** होने पर यथासमय निर्धारित फीस ई-मित्र पर जमा करवानी होगी।

16. इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में **ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. छात्रों हेतु ओ.बी.सी. का जाति प्रमाण-पत्र** ही मान्य होगा, वह **एक वर्ष** से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस सन्दर्भ में इससे पूर्व के दो वर्षों में जारी **ओ.बी.सी. प्रमाण पत्रों** को अपलोड करने पर साइट उसे **एक अण्डरटेकिंग**

शपथपत्र परिशिष्ट-ड (Schedule-ड) लगाने का निर्देश देती है प्रवेशार्थी उसे डाउनलोड कर सत्यापित करते हुए प्रवेश फॉर्म के साथ अपलोड करेगा या प्रवेश फीस जमा कराते

समय प्रवेशार्थी मूल जाति प्रमाण-पत्र और आवश्यकतानुसार **परिशिष्ट-ड (Schedule-ड)** साथ लाएगा तो ही उसे ओ.बी.सी. या एम.बी.सी. कटेगरी का लाभ मिल सकेगा।

17. **B.A. Part I** के प्रवेशार्थियों को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 7 **Subject Combination** भरना आवश्यक है। उनका आवेदन पत्र तभी **Submit** होगा।

18. स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध का शुल्क इस बार 31, जुलाई 2024 तक **E-Mitra** पर जमा करवाना होगा।

अनुशासन

अनुशासन व्यक्तित्व विकास का आधार एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। स्व-अनुशासित विद्यार्थी महाविद्यालय एवं समाज की सम्पत्ति होते हैं। अतः समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की स्वस्थ परम्पराओं का आदर करें तथा आचार –संहिता का पालन करें। विद्यार्थी अपनी सोच-समझ में यह परिवर्तन लाएँ कि आचार-संहिता का पालन उनके लिए प्रतिबन्ध के रूप में नहीं है वरन् यह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाने का एक माध्यम है।

आपके व्यक्तित्व विकास में जहाँ महाविद्यालय आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है वहीं महाविद्यालय की अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना आपका अधिकार है किन्तु अधिकारों की माँग करते समय महाविद्यालय की सीमाओं को ध्यान में रखना तथा संयत व्यवहार करना आपका कर्तव्य है।

विद्यार्थियों से निम्नांकित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है :-

1. महाविद्यालय के बरामदों में अनावश्यक रूप से आवगमन न करें और न ही अध्ययन कक्ष के सामने एकत्रित होकर वार्तालाप करें।
2. अपने वाहन को नियत स्थान पर ही खड़ा करें।
3. प्राध्यापकगण एवं अन्य समस्त कर्मचारियों के साथ शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करें।
4. छात्र-संघ चुनाव में महाविद्यालय की दीवारों पर पोस्टर चिपका कर व नारे लिखकर गन्दा न करें।
5. किसी भी प्रकार से महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ।
6. महाविद्यालय के नियमों व परम्पराओं का पालन करें।
7. महाविद्यालय-प्रांगण व अध्ययन-कक्ष की दीवारों को गन्दा न करें तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।
8. महाविद्यालय परिसर में सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य मादक-द्रव्यों अपने पास रखना, उनका क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वैधानिक अपराध है।
9. महाविद्यालय प्रांगण में लगे पेड़-पौधों के विकास एवं संरक्षण में सहयोग प्रदान करें और स्वस्थ पर्यावरण के सहभागी बनें।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार "रैगिंग" (उत्पीड़न) गंभीर अपराध है। इस अपराध में लिप्त पाए जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को महाविद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा। (विस्तृत जानकारी के लिए आगामी पृष्ठ का अध्ययन करें।)
11. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन रखना एवं प्रयोग करना वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।

महाविद्यालय प्रांगण में नियमित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति के प्रवेश दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय के नियमों एवं परम्पराओं के उल्लंघन का दोषी विद्यार्थी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा। दोषी विद्यार्थियों को प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रावधानों के तहत दण्डित किया जा सकता है :-

- (क) चेतावनी (ख) वित्तीय दण्ड (ग) महाविद्यालय से निलम्बन
(घ) महाविद्यालय से निष्कासन अथवा (ङ) निस्सारण

यदि कोई विद्यार्थी गंभीर दुर्व्यवहार अथवा कर्त्तव्यहीनता का दोषी पाया जाएगा तो अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य द्वारा -

1. उसे कम से कम एक माह के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

अथवा

- 6 माह से कम नहीं, किन्तु एक शैक्षणिक वर्ष से अधिक नहीं के लिए निष्कासन किया जा सकता है।

अथवा

उस विद्यार्थी को आगामी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

2. ऐसा निष्कासित हुआ विद्यार्थी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकता है और न ही निस्सारित अवधि के दौरान उसे किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

रैगिंग पूर्णतः निषेध एवं दण्डनीय अपराध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने सम्बन्धित अधिनियम, 2009

रैगिंग से सम्बन्धित है :-

किसी छात्र या छात्राओं द्वारा दूसरे को मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, छेड़ना, अपशब्द कहना, छात्र के साथ दुर्व्यवहार, उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना, ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे लज्जा की भावना, पीड़ा/घबराहट उत्पन्न हो या मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़े, वरिष्ठ होने के कारण किसी छात्र का आर्थिक, शारीरिक शोषण करना, आपराधिक बल प्रयोग करना, प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अप्राकृतिक अपराध आदि।

दण्ड या सजा :-

- कक्षा में उपस्थित होने से निलम्बन/प्रवेश रद्द करना।
- संस्था से 4 वर्षों तक के लिए निष्कासन करना।
- छात्रवृत्ति/अन्य लाभों को रोकना या वंचित करना।
- परीक्षा में उपस्थित होने से रोकना/परीक्षा परिणाम रोकना।
- रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर टी.सी./सी.सी. में उल्लेख करना।
- अपराधिक कार्यवाही

पीड़ित विद्यार्थी महाविद्यालय की रैगिंग रोकथाम समिति या जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन से व्यक्तिशः या फोन पर तुरन्त सम्पर्क कर सकते हैं।

महाविद्यालय कार्यालय	01463-245660	उपखण्ड अधिकारी	01463-242216(ऑ)
प्राचार्य प्रो.जे.पी.शुक्ला	9680155067	उप पुलिस अधीक्षक	01463-245667(ऑ)
प्रो.वन्दना माथुर एसो.प्रोफेसर	7340367858	थानाअधिकारी किशनगढ़सिटी	01463-244600(ऑ)
डॉ.उमा बारैठ एसो.प्रोफेसर	9462012271	थाना अधिकारी मदनगंज	01463-244500(ऑ)
डॉ.नीतू भारतीय एसो.प्रोफेसर	8947842576		
डॉ. अर्जुन लाल एसि.प्रोफेसर	9214678958		

नोट:-विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न रैगिंग के सम्बन्ध में शपथ-पत्र स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर कर आवश्यक रूप से भरना होगा।

रैगिंग के खिलाफ फोन नम्बर 18001805522 व ईमेल helpline@antriagging.net पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

- विश्वविद्यालय परीक्षा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत नकल की सामग्री पाया जाना, अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- विश्वविद्यालय परीक्षा में मोबाइल फोन लाना पूर्णतः वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उपस्थिति नियम

1. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम 0 – 145 एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा के पत्र क्रमांक 8/2/अकाद/अकाशि/उप/96/327 दिनांक 16/10/96 के आदेशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सम्पूर्ण सत्र में प्रत्येक विषय एवं प्रेक्टिकल्स में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की अनिवार्यता का नियम स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं पर समान रूप से लागू होगा।
 2. एन.सी.सी. परेड व कैम्प, कॉलेज की ओर से आयोजित खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा विश्वविद्यालय समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जितने वास्तविक दिन कक्षाओं में उपस्थिति रहने से वंचित रहेंगे उतने ही दिनों का उपस्थिति लाभ दिया जाएगा।
 3. अन्य सभी मामलों में जिनमें पूरक परीक्षा के बाद प्रवेश लेने वाले छात्र भी हैं, उपस्थिति प्रतिशत की गणना उसी दिन से की जाएगी जिस दिन से कक्षाएँ प्रारम्भ हुई होंगी, न कि उस तिथि से जबकि विद्यार्थी ने कक्षा में उपस्थित होना आरम्भ किया हो। अतः जो विद्यार्थी विलम्ब से प्रवेश लेंगे उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। यही नियम समान रूप से उन विद्यार्थियों पर भी लागू होगा जो प्रवेश के बाद अपने विषय बदलते हैं क्योंकि एक विषय की उपस्थिति दूसरे विषय में नहीं जोड़ी जा सकती है।
 4. सत्र के मध्य में स्थानान्तरित होकर आने वाले मामलों में यदि छोड़ा गया महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और विद्यार्थी समान विषयों के साथ ही प्रवेश ले रहा है तो उपस्थिति स्थानान्तरित हो सकेगी, जिसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व छात्र पर होगा।
 5. राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर आयोजित कक्षा टेस्ट में उपस्थिति का लाभ कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय व विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
 6. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल.याचिका संख्या 4557/94 तथा अवमानना याचिका संख्या 87/97/में दिये गये आदेश दिनांक 5.12.1995 एवं दिनांक 24.10.1997 के अनुसार सभी नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- विशेष –: सत्रान्त में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम होगी, उनके विरुद्ध महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्व विद्यालय अजमेर के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान नियम के अनुसार ऐसा विद्यार्थी जिसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है वह विश्वविद्यालय परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने का अधिकारी नहीं है।

पुस्तकालय

पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्था का अपरिहार्य अंग एवं बौद्धिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार होता है। महाविद्यालय का पुस्तकालय मुक्त-पहुँच **Open access** (विद्यार्थी की पुस्तकों तक निर्बाध पहुँच) प्रणाली द्वारा संचालित है। वर्तमान में महाविद्यालय का पुस्तकालय लगभग 64745 श्रेष्ठ व ज्ञानवर्धक पुस्तकों से युक्त है। पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में पाठकों के लिए पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार – पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं।

पुस्तकालय के अधिकतम उपयोग हेतु निम्नांकित नियमों का पालन अनिवार्य है:-

1. पुस्तकालय में बिना परिचय-पत्र के प्रवेश वर्जित है।

2. पुस्तकालय में प्रविष्ट होने से पूर्व प्रत्येक छात्र को अपना निजी सामान पुस्तकालय कर्मचारी को सँभलाकर टोकन प्राप्त करना होगा।
 3. महाविद्यालय में आपका शुल्क जमा हो जाने पर आपको पुस्तकालय से पुस्तकें इश्यू करवाने हेतु पाठक-पत्र (टिकिट) दिए जाएँगे। आपके खोए हुए टिकिट पर कोई दूसरा छात्र पुस्तक प्राप्त कर लेता है तो उसका दायित्व आपका स्वयं का होगा। यह टिकिट अहस्तान्तरणीय है। दूसरे के टिकिट का उपयोग करने वाले छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सत्र की समाप्ति पर, विश्वविद्यालय परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले या महाविद्यालय छोड़ने से पहले टिकिट पुस्तकालय में जमा करवाकर **No Dues** लेना अनिवार्य है।
 4. प्रथम पार्ट, द्वितीय तथा तृतीय पार्ट, एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को क्रमशः दो, तीन व चार पाठक-पत्र दिए जाते हैं जिन पर छात्र 15 दिन के लिए एक-एक पुस्तक ले सकता है। निश्चित तिथि के बाद पुस्तक लौटाने पर 1 रुपया प्रतिदिन, प्रति पुस्तक के हिसाब से अर्थ-दण्ड लिया जाएगा।
 5. सात या सात से अधिक दिनों तक रहने वाले अवकाश के दिनों में पुस्तकें जमा कराने की तिथि के बीच में आने की स्थिति में विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे महाविद्यालय खुलने पर प्रथम दो दिनों तक बिना विलम्ब शुल्क के पुस्तकें जमा करा सकेंगे। तत्पश्चात् जमा कराने पर प्रारम्भिक तिथि से ही विलम्ब शुल्क देना होगा।
 6. पुस्तक खोने पर /चिह्नित करने पर/पृष्ठ फटे हुए होने पर/पृष्ठ कम पाये जाने पर / पुस्तक की खराब हालत होने पर यथासम्भव नयी पुस्तक ही ली जाएगी अथवा नियमानुसार पुस्तक की दुगनी कीमत (विलम्ब शुल्क सहित) जमा करवानी होगी।
- वाचनालय व पुस्तकालय में अनुचित आचरण करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

छात्र-कल्याण एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

जहाँ एक ओर महाविद्यालय विद्यार्थियों से अच्छे अनुशासन की अपेक्षा करता है, वहीं उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के दायित्व का निर्वाह करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षणिक व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए यथासम्भव सहायता व मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाता है। यहाँ विभिन्न परिषदों व समितियों द्वारा आयोजित सहशैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने के अनवरत प्रयास किए जाते हैं। इस हेतु समस्त संकाय सदस्य एवं अन्य कर्मचारीगण, प्राचार्य के निर्देशन में सदैव तत्पर रहते हैं। विभिन्न विद्यालयों/क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रारम्भ में एक भिन्न परिवेश व वातावरण मिलने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तथा उनकी समस्याओं जैसे – विषय चयन, शुल्क-मुक्ति, छात्रवृत्ति आदि के समाधान के लिए एकेडमिक डीन तथा विद्यार्थी सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र सदैव तत्पर रहते हैं।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

आयुक्त राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(छात्र सुरक्षा) अनु व गैर अनु शिक्षण/2010/2765-2845 दिनांक 12.07.2010 की अनुपालना में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' प्रभावी की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत

प्रत्येक वर्ष की 15 अगस्त से आगामी वर्ष की 14 अगस्त तक, एक वर्ष के लिए रुपये दो लाख का बीमाधन होगा। जिसकी वर्तमान में प्रीमियम राशि रु.20/ प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष है। इस योजना की अन्य शर्तें सम्बन्धित विभाग के अनुसार होगी। सत्र 2023-24 से समस्त विद्यार्थी स्वतः बीमित होंगे अतः इस सत्र से उनसे कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी।

छात्रसंघ

विद्यार्थियों को लोकतान्त्रिक प्रणाली के प्रशिक्षण के साथ-साथ सहशैक्षणिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक सत्र में महाविद्यालय में छात्रसंघ के चुनाव छात्रसंघ के संविधान के अनुसार करवाए जाते हैं। छात्रसंघ के चुनाव लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित आचार संहिता, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं आयुक्तालय के आदेशानुसार सम्पन्न करवाए जाते हैं। मतदाताओं को महाविद्यालय में परिचय-पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(क) चुनाव कार्यक्रम एवं तिथि:राज्य सरकार द्वारा नियत होने पर जारी किया जाएगा।

(ख) पात्रता एवं कार्यपद्धति: महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान के अनुसार।

(ग) आचार संहिता के निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना आवश्यक:-

1. छात्रसंघ के संविधान की धारा 11 के अनुसार छात्रसंघ चुनाव में प्रति उम्मीदवार को रु 5000/ व्यय की अनुमति होगी।
2. छात्रसंघ चुनाव में राजनैतिक दलों के रुपयों की आवक रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्रोत से कोई धनराशि लेना प्रतिबन्धित है।
3. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, न ही ऐसी क्रिया या गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढ़ावा देती हो या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषाई या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करती है।
4. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जाएगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी।
5. मत प्राप्ति हेतु जातिगत एवं साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजा-स्थल चाहे वह परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किए जाएँगे।
6. मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना – धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापस भेजना प्रतिबन्धित है।
7. किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स या अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के लिए केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगे।

8. किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियाँ, जनसभा आयोजन या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
9. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी भी सम्पत्ति को महाविद्यालय प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति के अभाव में खण्डित अथवा नष्ट नहीं करेंगे।
10. महाविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति से चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में रैलियाँ निकाली जा सकती हैं और जनसभाएं की जा सकती हैं; यदि ऐसी रैलियाँ या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय परिसर में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सहशैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें।
11. प्रचार हेतु लाउडस्पीकरों, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
12. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, छड़ी, हॉकी स्टिक, चाकू, तलवार, लोहे की सलाख, चैन, लाठी, पत्थर आदि रखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
13. उपर्युक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (Sec 153 A and Chapter IX चुनावों से संबन्धित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किया जा सकते हैं।
14. छात्र संघ के पदाधिकारियों को चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरन्त पश्चात् पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।
15. विशेषः—छात्र संघ चुनाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना अनिवार्य है। महाविद्यालय परिसर एवं दीवारों पर लिखना एवं पोस्टर चिपकाना पूर्णतया निषेध है। ऐसा पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मंच एवं परिषद्

महाविद्यालय में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए कला परिषद्, विज्ञान परिषद्, वाणिज्य परिषद्, मैत्रेयी परिषद्, महिला प्रकोष्ठ, इतिहास सेमिनार, हिन्दी उपनिषद्, संस्कृत उपनिषद्, चित्रकला परिषद्, भूगोल परिषद्; रसायन—शास्त्र परिषद्, व्यवसाय प्रशासन सेमिनार, लेखा व व्यावसायिक सांख्यिकी सेमिनार, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध सेमिनार एवं योजना मंच आदि कार्यरत हैं।

इनका गठन प्रवेश की अन्तिम तिथि के 15 दिन बाद होता है तथा इनके पदाधिकारियों का मनोनयन गत परीक्षा में प्राप्त सर्वोच्च अंकों के आधार पर किया जाता है।

विद्यार्थी सूचना एवं परामर्श केन्द्र

यह केन्द्र विद्यार्थियों को मुख्यतः उनकी शैक्षणिक व व्यावसायिक समस्याओं का समाधान ढूँढने में सहायता करता है। इस केन्द्र से विद्यार्थी व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश, देश—विदेश में छात्रवृत्तियों और फ़ैलोशिप के लिए आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार की जानकारी प्रदान करने हेतु उद्यमिता जागृति शिविर का आयोजन भी किया जाता है।

युवा विकास-केन्द्र

राज्य सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसका उद्देश्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है विशेष रूप से युवाओं को केरियर एवं रोजगार सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करवाना है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 घंटे का एक आवश्यक पाठ्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया जाता है साथ ही रोजगार, व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी व्याख्यान, कार्यशाला, काउन्सलिंग, एप्टीट्यूट टेस्ट, प्लेसमेंट ड्राइव, केरियर-फेयर आदि कार्यक्रम भी इस केन्द्र के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

प्लेसमेंट सैल

यह केन्द्र विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। इसके माध्यम से विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित कर एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को रोजगारपरक जानकारी एवं Placement उपलब्ध करवाए जाते हैं।

शैक्षणिक मूल्यांकन

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ.7(4)अकाद/निकाशि/09/623 दिनांक 31.03.2011 की अनुपालना में महाविद्यालय में प्राध्यापकगण के साप्ताहिक कार्य संपादन एवं उनके शैक्षणिक कार्य का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालय में सील्ड बॉक्स रखा गया है। जिसमें विद्यार्थी निस्संकोच अपनी बात लिख कर डाल सकते हैं।

एल्यूमिनी एसोसिएशन

महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का संगठन अपने नये स्वरूप में "एल्यूमिनी एसोसियेशन" राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ के नाम से सक्रिय है। जिसका पंजीयन क्रमांक 4/अजमेर/2009-10 दिनांक 8-4-2009 को रजिस्ट्रार संस्थाएँ अजमेर द्वारा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। इसके उद्देश्यों के अन्तर्गत महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को महाविद्यालय के विकास कार्यों में भावनात्मक व सक्रिय सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना, उनके मध्य पारिवारिक मैत्री भाव स्थापित करना व महाविद्यालय परिवार से उनका समन्वय स्थापित करना, विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करना एवं स्व-व्यवसाय हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएँ बनाना, इस हेतु सदस्यों से एवं दान दाताओं से कोष आदि लेने का प्रयास करना, प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को समुचित एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना सम्मिलित है। महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी (जिन्होंने कम से कम एक डिग्री स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए महाविद्यालय में नियमित अध्ययन किया हो) इसके सदस्य बन सकते हैं। जिसके लिए 500 रुपया आजीवन सदस्यता शुल्क रखा गया है।

महाविद्यालय प्रकाशन 'नागरी'

महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक सत्र में एक बार "नागरी" पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा रचित लेख निबन्ध, कविताएँ, संक्षिप्त कहानियाँ आदि प्रकाशित किए जाते हैं।

परिचय-पत्र

महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को प्राचार्य द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। इस परिचय-पत्र पर विद्यार्थी का प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो होना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि महाविद्यालय में सदैव अपना परिचय-पत्र अपने साथ रखे तथा माँगने पर प्रस्तुत करे। यह पूर्णतया अहस्तान्तरणीय है।

जलपान – गृह

छात्र-छात्रा की शारीरिक व मानसिक थकान मिटाने व उन्हें पुनः तरोताजा करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में जलपान गृह की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य-सामग्री व पेय-पदार्थों का विक्रय उचित दरों पर किया जाएगा।

वाहन पार्किंग, स्टैण्ड

महाविद्यालय में साईकिलों व अन्य दुपहिया वाहनों को रखने के लिए स्टैण्ड की व्यवस्था है। वाहन स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर अपने वाहन को खड़ा करना न केवल अनुशासनहीनता है वरन् वाहनों की चोरी, टूट-फूट व दुर्घटनाओं को जानबूझकर आमंत्रित करने के समान है। अतः विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित स्थल पर खड़ा करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खेलकूद

महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्र-पर्यन्त खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन करता है। जिससे छात्रों को स्थानीय, जिला स्तरीय एवं विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चयन उपरान्त व अन्तरमहाविद्यालय व अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा जाता है।

महाविद्यालय में हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैण्डबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिण्टन, कबड्डी आदि खेलों के नियमित रूप से अभ्यास की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। खेल मैदान पर ट्रैक एवं फील्ड इवेंट के अभ्यास की सुविधा भी उपलब्ध है।

रेल/बस यात्रा में रियायत की सुविधा

नियमित विद्यार्थियों को अपने स्थायी निवास से आने व जाने के लिए रेल/बस यात्रा में रियायत की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके अभिभावक किशनगढ़ से बाहर रहते हैं और उनका स्थायी पता प्रवेश आवेदन पत्र में यथा स्थान अंकित है। यह सुविधा महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित फार्म भरकर प्राप्त की जा सकती हैं। यह सुविधा विद्यार्थियों को दशहरा, शीतकालीन या ग्रीष्मावकाश के अवसर पर स्थायी निवास हेतु आने-जाने के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह सुविधा महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

1. संस्थाओं द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्राओं के अवसर पर।
2. शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थानों के लिए महाविद्यालय द्वारा अपनी ओर से विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजे जाने पर।
3. ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने रियायती दर या मासिक-पास/ट्रैफिक-टिकट की सुविधा प्रदान की है इस हेतु कार्ड महाविद्यालय से बनवाया जा सकता है।

रोवर-क्रू /रेंजर टीम

छात्रों में सेवा-भावना एवं कर्तव्य-बोध जाग्रत करने हेतु महाविद्यालय में रोवर स्काउट गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थियों में स्काउटिंग के प्रति रुचि उत्पन्न करने व तत्सम्बन्धी ज्ञान वृद्धि हेतु साहित्य भी उपलब्ध कराया जाता है।

एन.सी.सी.

एन.सी.सी. गतिविधियाँ देश को स्वस्थ, उन्नत व चरित्रवान नागरिक प्रदान करती हैं। इस गतिविधि के अन्तर्गत छात्रों को तीन वर्ष की अवधि का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में उन्हें "बी" और "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तैयार करने के साथ ही निम्नांकित शिविरों में भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

1. वार्षिक प्रशिक्षण शिविर
2. अखिल भारतीय आधारभूत नेतृत्व पाठ्यक्रम
3. अखिल भारतीय अग्रवर्ती नेतृत्व पाठ्यक्रम
4. गणतन्त्र दिवस शिविर, दिल्ली।
5. गणतन्त्र दिवस सैन्य सम्बन्ध शिविर
6. अर्द्ध सैन्य प्रशिक्षण शिविर।
7. समीपवर्ती राज्य में प्रशिक्षण शिविर
8. राष्ट्रीय एकता शिविर।
9. रॉक क्लाइम्बिंग एवं ट्रेकिंग शिविर
10. पैराग्लाइडिंग शिविर।

इसके अतिरिक्त साईकिल द्वारा भ्रमण अभियान भी किए जाते हैं। एन.सी.सी. के अन्तर्गत छात्रों के लाभार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन निःशुल्क किया जाता है। राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों, निजी क्षेत्रों के उद्यमों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अर्द्ध सैनिक संगठन, गृह सुरक्षा आदि विविध क्षेत्रों में एन.सी.सी. द्वारा प्रशिक्षित कैडेट्स को वरीयता दी जाती है। महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि कैडेटों ने इन सेवाओं में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

एन.एस.एस. ने महाविद्यालय परिसर को सीधे समाज सेवा से जोड़ने का कार्य किया है तथा जन हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह कि छात्र समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपना अनुभव बढ़ाएँ।

इसकी गतिविधियों को अभिनव बनाने के लिए एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने को अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, रोड सेफ्टी, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रम की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्र/छात्राएँ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में छात्रों को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्रों के लिए विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वाद-विवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किए जाते हैं तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश सूची में वरीयता हेतु लाभ भी देय है।

महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की चार इकाइयाँ स्वीकृत हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ष 400 छात्र-छात्राएँ पंजीकृत किए जाते हैं। इनमें से एक इकाई केवल छात्राओं के लिए है। एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क देय नहीं है।

महाविद्यालय विकास समिति

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक शिक्षा -3प.10 (2)/200/17.3.01 एवं निदेशक, कॉलेज शिक्षा के पत्र क्रमांक पं. 20 (101) 4/ लेखा/नि.का.शि/2001 आयोजन/1140-1259 दिनांक 31.08.2001 की अनुपालना में "महाविद्यालय विकास समिति" का गठन किया गया। इस समिति का पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत 229/अजमेर/2001-2002 दिनांक 31.1.2002 को रजिस्ट्रार संस्था अजमेर के यहाँ हो चुका है। इसका नाम "राजकीय महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत) किशनगढ़" है। समिति के उद्देश्य महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थायी कोष का निर्माण, जनसहयोग, दानदाता सांसद/विधायक विकास कोष की सहायता से निर्माण कार्य करवाना, खेलकूद के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना, शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना, महाविद्यालय परिसर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, फर्नीचर एवं उपकरण

उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों के हित में विकास समिति के कोष से दैनिक आधार पर सेवाएँ भी ली जाती हैं।

नॉलेज सेन्टर

महाविद्यालय में नॉलेज सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसमें **Internet**की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके द्वारा आवश्यकतानुसार **LCD Projector** के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। इसमें **BPO** आदि कक्षाएँ भी संचालित होती हैं। यहाँ पर **English Language Lab** की भी व्यवस्था है। इसमें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित विभिन्न कक्षाएँ एवं कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

महिला छात्रावास

महाविद्यालय में प्रवेशित बाहर से आने वाली छात्राओं की सुविधा हेतु महाविद्यालय परिसर से बाहर महिला छात्रावास की व्यवस्था है। इसमें प्रवेश हेतु पृथक् से आवेदन करना होगा।

निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ एवं ई-क्लास

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से प्राप्त निर्देशानुसार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम **ज्ञानसुधा** संचालित किया जा रहा है। साथ ही सत्र 2018-19 में ई-क्लास भी संचालित हो रही हैं। इसी के साथ और **राजीव गाँधी ई-कन्टेंट, अनुप्रति योजना एवं ज्ञानदूत** कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा के दौर में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं।

महाविद्यालय परिसर में CCTV कैमरों से सुरक्षा

सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर में सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर **CCTV** कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था को तीसरी आँख की तकनीकी सक्षमता प्रदान की गई है।

कोरोना महामारी संक्रमण : बचाव ही सुरक्षा

कोरोना काल में सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:—

1. सोशियल डिस्टेंसिंग—कम से कम दो गज की परस्पर दूरी बनाये रखें।
2. हाथों की स्वच्छता—बार-बार साबुन से हाथों को धोएँ एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करें।
3. मास्क का प्रयोग—मुँह और नाक पर अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें।
4. भीड़-भाड़ से बचें।
5. वैक्सीनेशन—अपना नम्बर आते ही वैक्सीन के दोनों टीके (Dose) अवश्य लगवाएँ।
6. नमस्ते से अभिवादन —परस्पर हाथ मिलाने की अपेक्षा नमस्ते से अभिवादन करें।
7. बातचीत में संयम— मास्करहित व्यक्ति से आमने-सामने बात करने से बचें।

8. घर पर रहें सुरक्षित रहें—अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें।

कोरोना से डरें नहीं।
सतर्कता बरतें।

घर पर रहें।
सुरक्षित रहें

वित्तीय सूचनाएँ

(I) शुल्क (राजकीय)

सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित शुल्क जमा करवाने होंगे। कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने या किसी शुल्क में सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने पर उस राशि का भुगतान भी करना होगा।

(a) प्रवेश-शुल्क –

विवरण	सामान्य (रुपये)	अनु.जाति / अनु.जन.जाति / अ.पि.वर्ग (रुपये)
प्रवेश	2	2

(b) शिक्षण-शुल्क की वार्षिक दरें:—

कक्षाएँ	जिन अभिभावकों की वार्षिक आय आयकर की सीमा से कम है।	जिन अभिभावकों की वार्षिक आय आयकर की सीमा से अधिक है।
---------	---	--

स्नातक कक्षाएँ

पार्ट प्रथम	42 /—	144 /—
पार्ट द्वितीय	54 /—	180 /—
पार्ट तृतीय	54 /—	180 /—

स्नातकोत्तर कक्षाएँ

96 /— 240 /—

1. आयकर नहीं देने वाले राज्य कर्मचारी (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) के परिवार के सदस्यों से सामान्य तकनीकी एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कोई शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें आयकर न देने का प्रमाण – पत्र सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करके संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा। यह सुविधा पंचायत/जिला परिषद् कर्मचारियों के सदस्यों को भी मिलेगी।
2. समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य किसी पिछड़ी जातियों के छात्रों से चाहे उनके माता-पिता अभिभावक आयकरदाता हों अथवा न हों चाहे उन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार से छात्रवृत्ति मिलती हो, कोई शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाएगा।
3. समस्त छात्राओं से कॉलेज स्तर तक की सामान्य शिक्षा के लिए कोई शिक्षण-शुल्क, प्रवेश-शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन यह छूट तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षण में नहीं मिलेगी।
4. यह 12 माह के लिए देय होगा।

नोट :-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग के

प्रवेश प्रार्थना-पत्र एवं अन्य मामलों में समुचित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
सभी प्रकार के शुल्क निर्धारित कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 से 01.30 बजे के मध्य निर्धारित काउंटर/रोकड़ शाखा में नकद जमा करवाए जा सकेंगे।

(c) प्रयोगशाला शुल्क वार्षिक दरें:-

क्र.स. कक्षा	सामान्य			अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ अ.पि.वर्ग		
	विज्ञान, भूगोल, चित्रकला			विज्ञान, भूगोल, चित्रकला		
(a) स्नातक पासकोर्स	100	100	100	100	100	100
(b) स्नातकोत्तर कोर्स	150	150	150	150	150	150

(d) स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र (टी.सी.)

क्र.स. विवरण	सामान्य	अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ अ.पि.वर्ग
	25	25

(II) छात्र निधि शुल्क

क्र.स. विवरण	सामान्य	अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ अ.पि.वर्ग
1. पुस्तकालय एवं वाचनालय		
(a) पुस्तकालय	30	15
(b) मुक्त पहुँच	10	10
(c) वाचनालय	30	15
(d) पाठक पत्रक (पुस्तकालय कार्ड)	10	10
2. महाविद्यालय विकास एवं रख रखाव		
(a) विकास शुल्क	20	10
(b) पर्यावरण शुल्क	5	5
(c) सामान्य प्रयोजन	150	150
(d) वाहन पार्किंग	15	15
3. खेल कूद		
(a) खेलकूद फीस	50	25
4. छात्र कल्याण निधि		
(a) विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	00	00
(b) विद्यार्थी मार्ग दर्शन एवं रोजगार केन्द्र	5	5
(c) आन्तरिक परीक्षा	20	10
(d) परिचय – पत्र	10	10
(e) स्काउटिंग	10	10

(f) मनोरंजन	10	5
(g) चिकित्सा एवं छात्र सहायता	5	5
(h) चरित्र प्रमाण पत्र	25	25
5. महाविद्यालय प्रकाशन		
(a) नागरी	25	25
6. छात्रसंघ/परिषद् शुल्क		
(a) छात्रसंघ शुल्क	40	20
(b) परिषद् (स्नातक)	20	20
(c) सेमीनार सदस्यता शुल्क (स्नातकोत्तर)	15	15
(d) महिला अध्ययन केन्द्र (केवल छात्राएँ)	10	10
(e) योजना मंच	5	5
7. अवधान राशि (कोशनमनी) वापस देय	10	10

(III) म.द.स. विश्वविद्यालय शुल्क

- नामांकन शुल्क (प्रथम बार ऐनरॉल होने वाले छात्रों से)
- ग्राहता शुल्क (ऐलीजिबिलिटी) म.द.स.वि.अजमेर एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त बाहर से आने वाले छात्र – छात्रों से
- परीक्षा शुल्क
- विकास शुल्क (परीक्षा शुल्क के साथ)
- खेलकूद शुल्क (विश्वविद्यालय)

(IV) महाविद्यालय विकास समिति

क्र.स.	विवरण	सामान्य	अनु.जाति/अनु.जन.जाति/अ.पि.वर्ग
1.	महाविद्यालय विकास समिति	200	200

(V) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प4(7) वित्त/राजस्व/02 दिनांक 11.12.02 आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.4 (छात्र सुरक्षा)/अनु व गैर अनु शिक्षण/2010/2765 – 2845 दिनांक 17.07.2010 की अनुपालना में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना** प्रभावी की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की 15 अगस्त से आगामी वर्ष की 14 अगस्त तक, एक वर्ष के लिए रुपये दो लाख का बीमाधन होगा जिसकी वर्तमान में प्रीमियम राशि मय सेवा कर रु. 20/-प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष है। इस योजना की अन्य शर्तें संबंधित विभाग के अनुसार होगी।

सत्र 2023-24 से समस्त विद्यार्थी स्वतः बीमित होंगे अतः इस सत्र से उनसे कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी।

विशेष:—(1)जाति या अन्य प्रमाण पत्र नियमानुसार अवधि में जारी किए गए होंगे तभी मान्य होंगे
(2)वर्ष 2019–20 से राजस्थान सरकार के आदेशानुसार छात्रा वर्ग को GOVERNMENT FUND के समस्त मदों के शुल्क से मुक्त किया जाता है।

शुल्क विवरण सत्र 2024-2025

क सं	कक्षा	शुल्क विवरण सत्र 2024–2025								SC/ST/OBC/SBC वर्ग				कुल शुल्क			
		प्रवेश शुल्क		प्रयोगशाला शुल्क केवल चित्रकला / भूगोल / विज्ञान के विद्यार्थियों से		शिक्षण शुल्क		महाविद्यालय विकास शुल्क		छात्र निधि		विश्वविद्यालय विकास शुल्क ₹ 50 तथा कुल शुल्क ₹ 30 कुल ₹ 80		कुल शुल्क केवल चित्रकला / भूगोल / विज्ञान के विद्यार्थियों से		कुल शुल्क वाणिज्य / कला संकाय के अन्य विद्यार्थियों से	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	प्रथम वर्ष (नवीन)	2	0	100	0	0	0	200	200	400	410	80	80	782	690	682	690
2	प्रथम वर्ष (नवीनीकरण)	2	0	100	0	0	0	200	200	390	400	80	80	772	680	672	680
3	द्वितीय / तृतीय वर्ष (नवीन)	2	0	100	0	0	0	200	200	400	410	80	80	782	690	682	690
4	द्वितीय / तृतीय वर्ष (नवीनीकरण)	2	0	100	0	0	0	200	200	390	400	80	80	772	680	672	680
5	स्नातकोत्तर (नवीन)	2	0	150	0	0	0	200	200	415	425	80	80	847	705	697	705
6	स्नातकोत्तर (नवीनीकरण)	2	0	0	0	0	0	200	200	405	415	80	80	837	695	687	695

नोट:—1. विद्यार्थी देयधन की रसीद फीस जमा कराते समय ही प्राप्त कर लें।

2. विद्यार्थी शुल्क की रसीद को पूरे सत्र तक सुरक्षित रखें तथा प्रशासन द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करें ।

3. शुल्क की गणना जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की गई है।

शुल्क विवरण सत्र 2024-2025

शुल्क विवरण सत्र 2024-2025

राज्य कर्मचारी

क्र. सं.	कक्षा	प्रवेश शुल्क	शिक्षण शुल्क			छात्र निधि			विकास शुल्क			राज्य कर्मचारी			कुल शुल्क					
			प्रयोगशाला शुल्क केवल चित्रकला/ भूगोल/विज्ञान के विद्यार्थियों से	आयकर दाता नहीं	आयकर दाता	महाविद्यालय विकास शुल्क			विकास शुल्क रु 50 तथा खेल शुल्क रु 30 कुल रु 80	आयकर दाता नहीं	आयकर दाता	कुल शुल्क केवल चित्रकला/ भूगोल/विज्ञान के विद्यार्थियों से	आयकर दाता नहीं	आयकर दाता	कुल शुल्क वाणिज्य/ कला संकाय के अन्य विद्यार्थियों से	आयकर दाता नहीं	आयकर दाता	कुल		
1	प्रथम वर्ष (नवीन)	2	0	100	0	0	144	0	200	200	500	510	80	80	882	1026	790	782	926	790
2	प्रथम वर्ष (नवीनीकरण)	2	0	100	0	0	144	0	200	200	490	500	80	80	872	1016	780	772	916	780
3	द्वितीय/तृतीय वर्ष (नवीन)	2	0	100	0	0	180	0	200	200	500	510	80	80	882	1062	790	782	962	790
4	द्वितीय/तृतीय वर्ष (नवीनीकरण)	2	0	100	0	0	180	0	200	200	490	500	80	80	872	1052	780	772	952	780
5	स्नातकोत्तर (नवीन)	2	0	150	0	0	240	0	200	200	515	525	80	80	947	1187	805	797	1037	805
6	स्नातकोत्तर (नवीनीकरण)	2	0	0	0	0	240	0	200	200	505	515	80	80	937	1177	795	787	1027	795

नोट:-1. विद्यार्थी देयधन की रसीद फीस जमा कराते समय ही प्राप्त कर लें।

2. विद्यार्थी शुल्क की रसीद को पूरे सत्र तक सुरक्षित रखें तथा प्रशासन द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करें।

3. शुल्क की गणना आयकरदाता हे या नहीं के आधार पर की गई है।

शुल्क विवरण सत्र 2024-2025

शुल्क विवरण सत्र 2024-2025

सामान्य वर्ग

क्र. सं.	कक्षा	प्रवेश शुल्क		शिक्षण शुल्क			महाविद्यालय विकास शुल्क		छात्र निधि		विश्वविद्यालय विकास शुल्क रु 50 तथा खेल शुल्क रु 30 कुल रु 80		कुल शुल्क केवल चित्रकला/भूगोल/विज्ञान के विद्यार्थियों से			कुल शुल्क वाणिज्य/कला संकाय के अन्य विद्यार्थियों से				
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	
																				रुपये
1	प्रथम वर्ष (नवीन)	2	0	100	0	42	144	0	200	200	500	510	80	80	924	1026	790	824	926	790
2	प्रथम वर्ष (नवीनीकरण)	2	0	100	0	42	144	0	200	200	490	500	80	80	914	1016	780	814	916	780
3	द्वितीय/तृतीय वर्ष (नवीन)	2	0	100	0	54	180	0	200	200	500	510	80	80	936	1062	790	836	962	790
4	द्वितीय/तृतीय वर्ष (नवीनीकरण)	2	0	100	0	54	180	0	200	200	490	500	80	80	926	1052	780	826	952	780
5	स्नातकोत्तर (नवीन)	2	0	150	0	96	240	0	200	200	515	525	80	80	1043	1187	805	893	1037	805
6	स्नातकोत्तर (नवीनीकरण)	2	0	0	0	96	240	0	200	200	505	515	80	80	1033	1177	795	883	1027	795

नोट:-1. विद्यार्थी देयधन की रसीद फीस जमा कराते समय ही प्राप्त कर लें।

- विद्यार्थी शुल्क की रसीद को पूरे सत्र तक सुरक्षित रखें तथा प्रशासन द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करें।
- शुल्क की गणना 30 हजार रु या इससे अधिक आय के आधार पर की गई है।

छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अनेक छात्रवृत्तियाँ देय होती हैं। इनमें से प्रमुख हैं:— अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, दिव्यांग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जनजाति क्षेत्र विकास (TAD) छात्रवृत्ति इत्यादि।

उक्त छात्रवृत्तियों के साथ अन्य छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाओं का विस्तृत विवरण निम्नांकित वेब पोर्टल्स पर प्राप्त किया जा सकता है:—

1- sje.rajasthan.gov.in

2- hte.rajasthan.gov.in

3- scholarships.gov.in

विद्यार्थी छात्रवृत्ति सम्बन्धी नवीनतम सूचनाओं के लिए समय-समय इन पोर्टल्स के साथ-साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार नवीनतम निर्देशों की जानकारी रखने के साथ महाविद्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रवेश नियमावली

ऑन-लाइन प्रवेश हेतु आयुक्तालय की नई web-site <http://www.hte.rajasthan.gov.in/> पर प्रवेश नीति सहित समस्त जानकारी एवं प्रवेश नियमावली उपलब्ध है। <http://www.hte.rajasthan.gov.in/> web-site पर **ADMISSION** menu पर **CORSOR** आते ही **Department of College Education** दिखाई देगा एवं जैसे ही इसपर **CORSOR** आएगा तो **Under Graduate Admission drop down menu** दिखने लगेगा उस पर **Click** करते ही **SSO window** खुल जाएगी और इस पर अपनी **ID,PASSWORD & Captcha Code** भरकर **proceed** करेंगे तो **Admission Page** खुल जाएगा।

(ऑफ-लाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए)

ऑफ-लाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आयुक्तालय की वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर भरे हुए आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करवायें।

1. प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय के वेब पेज पर अपलोड की गई इस विवरणिका का सावधानीपूर्वक आवश्यक रूप से पूर्ण अध्ययन कर लें।
2. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा। (प्रवेश की समय सारणी विवरणिका या प्रवेश-नीति में देखें।)
3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
5. जिन छात्रों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जाएगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
6. प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होने आवश्यक हैं:—
 - (a) अर्हकारी परीक्षा अंकतालिका, चरित्र प्रमाण-पत्र, तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ। प्रवेश होने पर शुल्क के साथ ही मूल प्रमाण-पत्र जमा कराने होंगे।
 - (b) सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण – पत्र या अंकतालिका की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
 - (c) विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सार्टिफिकेट) जो छात्र/छात्राओं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं। (यदि हो) अन्यथा यह प्रवेश के एक मास में जमा कराना होगा।
 - (d) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी **OBC** प्रमाण-पत्र ही मान्य है।) का/की है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के दण्डनायक/तहसीलदार का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
विशेष :-जाति या अन्य प्रमाण पत्र नियमानुसार अवधि में जारी किए गए होंगे तभी मान्य होंगे।
 - (e) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हो जो आयकर दाता नहीं हैं, तो उनके तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने पर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - (f) आय का विवरण-पत्र
 - (g) खेल आदि में प्रवेश योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।
7. जिन छात्रों/छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक घोषित कर दिए जाएँगे। उसके उपरान्त छात्र/छात्राओं को निश्चित तिथि तक दस्तावेज सत्यापन करवा शुल्क जमा करना होगा तथा उन्हें प्रवेश – पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड ले लेने चाहिए। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
8. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय-पत्र फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।
9. आवेदन-पत्र पर छात्र-छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।
10. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जाएगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा।

11. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति सह अनापत्ति-पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर काशनमनी वापस नहीं ली जाने की स्थिति में यह राजकीय कोष में जमा करा दी जाएगी।
13. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर बिना कारण बताए किसी भी आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दे। प्रवेश निरस्त कर दे।
14. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना-पट्ट देखना चाहिए एवं प्रत्येक टर्म के अन्त में उपस्थिति की सूचना महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगायी जाएगी। सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
15. एन.सी.सी./एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।
16. स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र मय महाविद्यालय में अध्ययनरत वर्षों की सत्यापित अंकतालिका निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के पश्चात् अगले दिन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे।
17. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के एनरोलमेन्ट फार्म के साथ अपने मूल प्रलेख जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियाँ अपने पास रखे लें। प्रवेश के पश्चात् यह मूल प्रलेख लौटाना सम्भव नहीं होगा।
18. EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के लाभ हेतु राजकीय नियमानुसार **EWS का प्रमाण-पत्र** लगाना होगा।

प्रवेश सम्बन्धी अन्य निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की निर्धारित अर्हताएँ होने तथा राजस्थान राज्य सरकार/ आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी नियमों तथा निर्देशों के अधीन ही किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय के नियम, उपनियम प्रकाशित होते रहते हैं। राज्य सरकार, आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी नियम इस विवरणिका एवं प्रवेश-नीति 2019-20 में प्रकाशित किए जा रहे हैं परन्तु विश्वविद्यालय/राज्य सरकार,/आयुक्तालय से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों तथा नियमों में परिवर्तन व संशोधन तुरन्त प्रभाव से मान्य होंगे भले ही ऐसे परिवर्तन/संशोधन इस विवरणिका में छप न सके हों।
2. निर्धारित पात्रता प्रतिशत से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले आवेदन पत्र जमा नहीं किए जायेंगे।
3. जन्म तिथि के लिए सैकण्डरी स्कूल के प्रमाण-पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदनपत्र के साथ संलग्न प्रवेशार्थी छायाचित्र (फोटो) छह माह से अधिक पुराना न हो, साथ ही पहले किसी परीक्षा के प्रवेश पत्र आदि पर प्रयुक्त नहीं किया गया हो।
4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थियों को अपने आवेदन-पत्र में स्नातक कक्षाओं (पार्ट प्रथम,द्वितीय, एवं तृतीय) की अंकतालिकाओं की फोटो प्रतियाँ भी संलग्न करनी होंगी।
5. प्रत्येक संकाय के पार्ट प्रथम में उपलब्ध सीटों की 100 प्रतिशत प्रथम वरीयता सूची एवं 100 प्रतिशत प्रथम प्रतीक्षा सूची सामान्य वर्ग/अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/विकलांग वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकाशित की जाएँगी।

6. प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी की प्रवेश नहीं दिए जाने का अथवा संकाय/विषय बदलने की अनुमति नहीं दिए जाने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
7. एक से अधिक संकाय/विषय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग – अलग संकाय/विषय में प्रवेश हेतु अलग-अलग आवेदन-पत्र भरने होंगे।
8. सूचना-पट्ट पर सूचना लगाने से तात्पर्य है कि विद्यार्थी को सूचना प्राप्त हो गई है।
9. विस्तृत सूचनाएँ महाविद्यालय की वेब – पेज पर देखी जा सकती हैं।
10. पात्रता रखने वाले स्वयंपाठी/अन्य महाविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में उपलब्ध विषय-समूहों में ही दिया जाएगा।
11. प्रवेशार्थी महाविद्यालय में मूल अंक तालिका जमा करवाने से पूर्व उसकी फोटो प्रतियाँ अपने पास अवश्य रख लें।
12. साथ महाविद्यालय में समय – समय पर जमा करवाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की मूल रसीदें भी सुरक्षित रखें।

सह-शैक्षणिक गतिविधियों का चयन एवं सहभागिता

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण विकास तथा उन्हें शैक्षिक, भौतिक,सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार सम्बन्धी अतिरिक्त ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ तथा विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ संचालित किए जाते हैं। आयुक्तालय द्वारा इन सभी गतिविधियों तथा प्रकोष्ठों को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रवेश नीति 2019-20 में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है। अतः इस सत्र 2019-20 के प्रवेश आवेदन पत्र (Admission Form) में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अनिवार्य रूप से निम्नांकित कॉलम पूर्ति करें।

प्रश्न:-आप द्वारा महाविद्यालय में किन गतिविधियों में भाग लेना तय किया है ?

(नीचे लिखी गतिविधियों के समक्ष प्राथमिकता 1,2,3,4 में अपनी वरीयता अनुरूप अंकित करें)

- 1- नेशनल केडिट कोर (एन.सी.सी.)
- 2- राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस)
- 3- रोवर/रेंजर (स्काउट)
- 4- युवा विकास केन्द्र/महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार क्लब

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य – डॉ० जगदीश प्रसाद शुक्ला

<u>ए०बी०एस०टी० विभाग</u>	<u>संस्कृत विभाग</u>
1. श्री मंगल राम मीणा	1. डॉ० उमा बारैठ
2. सुश्री किरण मीणा	2. श्री श्यामलाल उदेनिया
	<u>इतिहास विभाग</u>
<u>व्यावसायिक प्रशासन विभाग</u>	1. डॉ० अनुराग शर्मा
1. श्री भजन लाल	2. डॉ० मधु कुमावत
2. श्री अर्जुन लाल	
3. श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	
<u>ई.ए.एफ.एम. विभाग</u>	<u>समाज शास्त्र विभाग</u>
1. सुश्री सुनीता शर्मा	1. डॉ० अक्षय नारायण पारीक
2. सुश्री कीर्ति रमन	
	<u>राजनीति शास्त्र विभाग</u>
<u>रसायन शास्त्र विभाग</u>	1. डॉ० लोकबन्धु सिंह
1. डॉ० नीतू भारतीय	2. श्रीमती वन्दना माथुर
	<u>चित्रकला विभाग</u>
<u>प्राणी शास्त्र विभाग</u>	1. डॉ० गीता शर्मा
1. डॉ० पदम चन्द भाटी	2. श्री अब्दुल रशीद
2. श्री अविनाश अग्रवाल	3. डॉ० जितेश कुमार जांगिड
<u>गणित विभाग</u>	<u>भूगोल विभाग</u>
1. डॉ० मुकेश कुमार	1. श्री जितेन्द्र सिंह बीका
<u>भौतिकशास्त्र विभाग</u>	2. श्रीमती सुरभि सिंघल

1. श्रीमती चारु अग्रवाल	महा0 में कार्यरत कार्यव्यवस्थार्थ संकाय सदस्य
<u>अग्रेजी विभाग</u>	1. डॉ0 धीरेन्द्र सिंह महनोत, ए.बी.एस.टी.
1. डॉ0 निलोफर कोहरी	

महाविद्यालय कार्यालय स्टाँफ़

सहायक लिखाधिकारी II	
1. श्रीमती रामकन्या चौधरी	
वरिष्ठ सहायक	
1 श्री राजेश मारोटिया	
2. श्री वासुदेव चौधरी	
कनिष्ठ सहायक	
1. श्रीमती दिव्यानी	
प्रयोगशाला सहायक	
1. श्री सुरेश चन्द	
2. श्रीमती अमनप्रीत कौर	
3. श्री यशपाल यादव	
4. श्री मुकेश कुमार	
बुकलिफटर	
1. श्री विक्रमलाल	
2. रिक्त पद 02	
सहायक कर्मचारी	
1. श्री गणेशीलाल माली	
2 श्रीमती रूक्मा देवी	

प्रवेश समितियाँ एवं सम्पर्क स्थल

सत्र 2024–25

डॉ. अनुराग शर्मा

नोडल अधिकारी स्नातक एवं स्नातकोत्तर

सम्पर्क सूत्र – 9214800445

प्रवेश समिति सत्र 2024–2025 (स्नातक स्तर पार्ट प्रथम)

प्रवेश समन्वयक :- डॉ० लोक बंधु सिंह

प्रवेश नोडल अधिकारी :- डॉ० अनुराग शर्मा

सहायक नोडल अधिकारी :- डॉ० मधु कुमावत

संकाय	नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर	कक्ष संख्या	हस्ताक्षर
कला	डॉ० नीलोफर कोहरी	संयोजक	9413565854	कम्प्यूटर लेब	
	डॉ० जितेश कुमार जांगिड	सह संयोजक	9799416237		
	श्री अब्दुल रशीद	सदस्य	8890466971		
	डॉ० अक्षय नारायण पारीक	सदस्य	7014479652		
	श्रीमती सुरभि सिधल	सदस्य	6377562050		
	श्री जितेन्द्र सिंह बीका	सदस्य	9560710983		
	सुश्री सुनीता शर्मा	सदस्य	8302931450		
	सुश्री किरण मीना	सदस्य	9351535798		
	श्री वासुदेव चौधरी	सदस्य	8560944614		
विज्ञान	डॉ० पदम चन्द भाटी	संयोजक	8279109503	प्राणीशास्त्र प्रयोगशाला नया भवन	
	श्री अविनाश अग्रवाल	सह संयोजक	7689006006		
	सुश्री चारु अग्रवाल	सदस्य	9414638587		
	श्री यशपाल यादव	सदस्य	7665817137		
	श्री मुकेश कुमार कुमावत	सदस्य	9929405506		
वाणिज्य	श्री भजनलाल	संयोजक	9414781241	कम्प्यूटर लेब	
	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	सह संयोजक	9950997154		
	श्री मंगलराम मीणा	सदस्य	9929701270		
	श्रीमती दिव्यानी	सदस्य	9460333341		

प्रवेश समितियाँ
स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय
एवं
स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध
2024- 2025

क्र.सं.	कक्षा	नाम	पदनाम	कक्ष संख्या
01	B.Com. Part II	श्री अर्जुनलाल	संयोजक	कम्प्यूटर लेब
		श्री धीरेन्द्र सिंह महनोत	सदस्य	
02	B.Com. Part III	श्री धीरेन्द्र सिंह महनोत	संयोजक	कम्प्यूटर लेब
		डॉ० रमेश कुमार जाबडोलिया	सदस्य	
03	B.A. Part II	श्रीमती वन्दना माथुर	संयोजक	कम्प्यूटर लेब
		श्री उमा बारैठ	सदस्य	
04	B.A. Part III	डॉ० श्यामलाल उदेनिया	संयोजक	कम्प्यूटर लेब
		सुश्री कीर्ति रमन	सदस्य	
05	B.Sc. Part II	डॉ० मुकेश कुमार	संयोजक	कम्प्यूटर लेब
		डॉ० यशपाल	सदस्य	
06	B.Sc. Part III	डॉ० नीतू भारतीय	संयोजक	सम्बंधित विभाग
		डॉ० यशपाल	सदस्य	
07	M.Com. Previous/Final A.B.S.T.	श्री मंगलराम मीणा	संयोजक	पुराना भवन प्राध्यापक कक्ष
08	M.Com. Previous/Final E.A.F.M.	सुश्री कीर्तिरमन	संयोजक	नया भवन कम्प्यूटर कक्ष
		सुश्री सुनीता शर्मा	सदस्य	
09	M.Com. Previous/Final Bus. Adm.	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	संयोजक	कम्प्यूटर लेब
10	M.A. Previous/ Final HINDI LIT.	डॉ० सुरभि सिंहल	संयोजक सदस्य	सम्बंधित विभाग

11	M.A. Previous/ Final SANSKRIT	डॉ० श्यामलाल उदेनिया	संयोजक	सम्बंधित विभाग
12	M.A. Previous/ Final HISTORY	डॉ० मधु कुमावत श्रीमति अमन प्रीतकोर	संयोजक सदस्य	सम्बंधित विभाग
13	M.A. Previous/Final Drawing & Panting	श्री अब्दुल रशीद डॉ० जितेश कुमार जांगिड	संयोजक सदस्य	पुराना भवन चित्रकला कक्ष
14	M.A. Previous/Final Geography	श्री जितेन्द्र सिंह बीका	संयोजक	सम्बंधित विभाग
15	M.Sc, Previous/Final Chemistry	डॉ० नीतू भारतीय मुकेश कुमार	संयोजक सदस्य	सम्बंधित विभाग

विद्यार्थी हेल्प डेस्क

डॉ. अनुराग शर्मा— संयोजक —9928073786

डॉ.नीतू भारतीय —सदस्य—9460690367

प्रो.भजनलाल —सदस्य —9680155067

श्री वासुदेव चौधरी—सदस्य—8560944614

उपस्थिति : न्यायिक निर्णय

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस बी सिविल याचिका संख्या 4557/94 तथा
अवमानना

याचिका संख्या 87/97 में दिये गये आदेश दिनांक:

5.12.1995 एवं दिनांक:24.10.1997 के अनुसार सभी नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।

नोट—इससे कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा देनी होगी।

नोट—: नवीन प्रवेश आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न करने होंगे:—

1. अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका स्वयं द्वारा सत्यापन प्रतिलिपि 02
2. सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण— पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
3. स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (T.C) स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
4. चरित्र प्रमाण — पत्र (C.C) स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
5. अनुसूचित जति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग प्रमाण—पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि 01
6. माइग्रेशन सर्टिफिकेट सत्यापित प्रतिलिपि
7. आधारकार्ड, यदि आप बी.पी.एल. परिवार सदस्य है तो बी.पी.एल. कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि
8. खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधि आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि
9. सभी नवीनीकरण करने वाले विद्यार्थियों को अपने प्रवेश आवेदन —पत्र के साथ पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की एक स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - महाविद्यालय में प्रवेश सूची में नाम आने पर प्रवेशार्थी को मूल—प्रमाण पत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे तथा विहित प्रक्रियानुसार प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा कराने के पश्चात् नियमानुसार प्रावधानों के सिवा किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा।
 - विद्यार्थियों का स्वयं का दायित्व होगा कि वे महाविद्यालय के सूचना पट्ट से जानकारी प्राप्त करते रहें एवं सम्बन्धित प्रभारी के सम्पर्क में रहें। व्यक्तिगत सूचना देने का महाविद्यालय का कोई दायित्व नहीं है। सूचना नहीं मिली ऐसा कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होगा।

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)

सत्र 2023-24 में नवीन प्रवेश द्वारा भरे जाने वाले स्वीकृत स्थानों का कक्षावार /वर्गानुसार का विवरण

नोट: इनमें राज्य सरकार के नवीन आदेश एवं मदस.वि.वि. अजमेर के सम्बद्धता प्रावधानानुसार स्वीकृत वर्ग तथा स्थानों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

SR. NO.	CLASS	SECTION	TOTAL SEATS	GENERAL					EWS					SC					ST					OBC					MBC				
				Total 36 %	PH-Ortho 5%	Kashmiri Migrant 1%	Defence 3%	Others	Total 10 %	PH-Ortho 5%	Kashmiri Migrant 1%	Defence 3%	Others	Total 16%	PH-Ortho 5%	Kashmiri Migrant 1%	Defence 3%	Others	Total 12%	PH-Ortho 5%	Kashmiri Migrant 1%	Defence 3%	Others	Total 21%	PH-Ortho 5%	Kashmiri Migrant 1%	Defence 3%	Others	Total 5%	PH-Ortho 5%	Kashmiri Migrant 1%	Defence 3%	Others
1	B. A. Pt. I	12	1200	432	22	4	13	393	120	6	1	3	110	192	9	2	6	175	144	7	1	4	132	252	13	3	8	228	60	3	1	2	54
2	B. Com. Pt. I	7	700	252	13	2	8	229	70	4	1	2	63	112	6	1	3	102	84	4	1	3	76	147	7	1	4	135	35	1	1	1	32
3	B. Sc. Pt. I (Bio.)	2	176	63	3	1	2	57	18	1	0	0	17	28	1	0	1	26	21	1	0	1	19	37	2	1	1	33	9	1	0	0	8
4	B. Sc. Pt. I (Maths)	2	176	63	3	1	2	57	18	1	0	0	17	28	1	0	1	26	21	1	0	1	19	37	2	1	1	33	9	1	0	0	8
5	M.Com(P) ABST	1	60	21	1	1	1	18	7	0	0	0	7	9	1	0	0	8	7	0	0	0	7	12	1	0	1	10	4	0	0	0	4
6	M.Com(P) Bus.Adm	1	60	21	1	1	1	18	7	0	0	0	7	9	1	0	0	8	7	0	0	0	7	12	1	0	1	10	4	0	0	0	4
7	M.Com(P) EAFM	1	60	21	1	1	1	18	7	0	0	0	7	9	1	0	0	8	7	0	0	0	7	12	1	0	1	10	4	0	0	0	4
8	M.A(P) History	1	60	21	1	1	1	18	7	0	0	0	7	9	1	0	0	8	7	0	0	0	7	12	1	0	1	10	4	0	0	0	4
9	M.A(P) Hindi	1	60	21	1	1	1	18	7	0	0	0	7	9	1	0	0	8	7	0	0	0	7	12	1	0	1	10	4	0	0	0	4
10	M.A.(P) Sanskrit	1	60	21	1	1	1	18	7	0	0	0	7	9	1	0	0	8	7	0	0	0	7	12	1	0	1	10	4	0	0	0	4
11	M.A.(P) Drawing & Painting	1	20	7	1	1	1	4	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
12	M.A.(P) Geography	1	30	11	1	1	1	8	3	0	0	0	3	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	6	1	0	0	5	2	0	0	0	2
13	M.Sc.(P) Chemistry	1	30	11	1	1	1	8	3	0	0	0	3	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	6	1	0	0	5	2	0	0	0	2